राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(141)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक 01 APR 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(168)एम.ई / ग्रुप–1 / 1991 दिनांक 19.06.2017 के द्वारा डॉ0 अनिल कुमार, (मेरिट क्रमांक 09 / सामान्य, जन्म तिथि 15.02.1982) की नियुक्ति अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर सहायक आचार्य, अस्थि रोग, के पद पर मेडिकल कॉलेज, कोटा में की गई थी। जिसके क्रम में डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिनांक 18.07.2017 को मेडिकल कॉलेज कोटा में सहायक आचार्य, अस्थि रोग के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक मेडिकल कॉलेज कोटा के पत्र क्रमांक प.2()स्था0.राज0 / 2019 / 270 दिनांक 06.02.2019 के अनुसार डॉ0 अनिल कुमार कार्यग्रहण करने के पश्चात दिनांक 22.07.2017 से दिनांक 09.08.2017 तक, दिनांक 11.08.2017 से 14.09.2017 तक व दिनांक 16.09.2017 से दिनांक 05.08.2018 तक अनुपस्थिति रहे तथा वर्तमान में दिनांक 08.08.2018 से अब तक निरन्तर बिना किसी पूर्व सूचना के स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे है। स्वेच्छा से लगातार अनुपस्थित रहने पर डॉ0 कुमार को प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज कोटा के रजिस्टर्ड पत्रांक 2057 दिनांक 23.11.2017, 1731 दिनांक 09.07.2018, 1964 दिनांक 03.08.2018 एवं 2706 दिनांक 20.11.2018 द्वारा कार्यस्थल पर उपस्थित होने बाबत् लिखा गया लेकिन डॉ0 कुमार कार्यस्थल पर उपस्थित नही हुए। डॉ0 कुमार परिवीक्षा काल में स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे है।

तत्पश्चात इस विभाग के समसंख्यक पत्र (रजिस्टर्ड) दिनांक 30.07.2018 द्वारा पत्र जारी होने की तिथि से 07 दिवस में पदस्थापित स्थान पर उपस्थित हाने बाबत् डॉ0 कुमार को निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि परिवीक्षा काल में सेवायें असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1962 के नियम 27 के उपनियम (1) के प्रावधानानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी। इसके बावजूद भी डॉ0 कुमार अपने पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित नही हुए। इससे यह प्रतीत होता है कि डॉ0 कुमार राज्य की राजकीय सेवा करने के इच्छुक नही है।

अतः डॉ0 कुमार, सहायक आचार्य, अस्थि रोग, मेडिकल कॉलेज कोटा के परिवीक्षा काल में दिनांक 08.08.2018 से बिना अनुमति स्वैच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परिवीक्षा काल में इनकी सेवाएं असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ0 अनिल कुमार की सहायक आचार्य, अस्थि रोग पद की सेवा एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(168)एम.ई / ग्रुप–1 / 1991 दिनांक 19.06.2017 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा को उनके पत्रांक प. 2( ) स्था0. राज0 / 2019 / 270 दिनांक 06.02.2019 के संदर्भ में।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ0 अनिल कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द, प्लाट न0 80–बी, बंशीपुरी प्रथम, जगतपुरा, जयपुर (राज.) 302017 (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव